

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/1418~~9~~ 14369 जयपुर,दिनांक: 2/12/15
आयुक्त/अधिशाली अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषय: सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही किये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में निर्देशानुसार लेख है कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आपकी नगर निगम/परिषद/पालिका क्षेत्र में दिनांक 1.1.2015 से आदिनांक तक कितने मामलों में FIR दर्ज करवाई गई है एवं कितना जुर्माना राशि अब तक जमा की गई है, की सूचना अविलम्ब आज ही जरिये मेल/फैक्स पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा चाही जा रही है, कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए आज ही भिजवायें।

(पुरुषोत्तम बियाणी)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/15/14370 to 14377 दिनांक: 2/12/15

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/कोटा/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर को प्रेषित कर निर्देशानुसार आपके अधीन नगरीय निकायों की उक्तानुसार सूचना आज ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें। ताकि मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके वांछितानुसार सूचना भिजवाया जाना संभव हो सके।
2. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी